213hi15

15

संवैधानिक मूल्य तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था

मोना शिलाँग के एक स्कूल में दसवीं कक्षा की छात्रा है। उसने अपने अध्यापक से एक प्रश्न पूछा जो उसे कई दिनों से परेशान कर रहा था। उसने कहा, महोदय, मैने समाचार पत्रों और टेलिविजन में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का उल्लेख होते अक्सर देखा है, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में कभी नहीं सुना। ऐसा क्यों? अध्यापक ने कहा कि "मोना तुमने एक महत्वपूर्ण अन्तर पर ठीक ही ध्यान दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था वहाँ के संविधान पर आधारित है तथा हमारी राजनीतिक व्यवस्था हमारे संविधान पर। किसी भी देश के संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही वहाँ विभिन्न संस्थाओं तथा पदों का सृजन होता है तथा वे सभी कार्य करते हैं। वस्तुतः संविधान एक देश की राजनीतिक पद्धति के सभी पहलुओं को परिभाषित करता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान कुछ ऐसे मूल्यों को प्रतिबिम्बित करता है, जो राजनीतिक पद्धति का केन्द्र होते हैं। ये मूल्य न केवल सरकार बल्कि नागरिक और समाज के लिए भी मार्गदर्शक होते हैं। मोना की तरह आपके दिमाग में भी भारत के संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में अनेक प्रश्न हो सकते हैं। जैसे भारत के संविधान में कौन से मूल्य प्रतिबिम्बित हैं? भारत की राजनीतिक पद्धति की प्रकृति क्या है? भारत को संघीय व्यवस्था क्यों कहा जाता है? इस पाठ में हम इन सब प्रश्नों पर चर्चा करेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ के पूर्ण अध्ययन के बाद आप :

- व्याख्या कर पाएंगे कि संविधान किस प्रकार आधारभूत व मौलिक कानून एवं एक जीवंत दस्तावेज है;
- संविधान की प्रस्तावना का विश्लेषण कर पाएंगे तथा प्रतिबिम्बित केन्द्रिक मूल्यों की पहचान कर पायेंगे;
- उन केन्द्रिक संवैधानिक मूल्यों की समीक्षा कर पाएंगे, जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में व्याप्त हैं; तथा
- भारतीय संघीय व्यवस्था और शासन प्रणाली की प्रकृति का परीक्षण कर सकेंगे।

15.1 भारत का संविधान

अब हम भारत के संविधान पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस प्रश्न का उत्तर जानना आवश्यक है किसंविधान शब्द का अर्थ क्या है?

15.1.1 संविधान का अर्थ

आपने संविधान शब्द कई बार सुना होगा। इस शब्द का प्रयोग कई संदर्भो में किया जाता है, जैसे राज्य या राष्ट्र का संविधान, संगठन, संस्था या यूनियन का संविधान, खेल क्लब का संविधान, गैर सरकारी संस्था का संविधान, किसी कम्पनी का संविधान आदि। क्या संविधान शब्द का अर्थ इन विभिन्न संदर्भो में एक समान है? नहीं ऐसा नहीं है। सामान्यतः संविधान शब्द का प्रयोग नियम और कानूनों के एक ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो ज्यादातर लिखित होते हैं तथा जो किसी संस्था, संगठन या कम्पनी की संरचना और कार्यप्रणाली को परिभाषित तथा नियमित करते है। लेकिन जब इसका प्रयोग राज्य या राष्ट्र के संदर्भ में होता है तो संविधान का अर्थ मूल सिद्धांतों, आधारभूत नियमों तथा स्थापित परम्पराओं का समूह है। यह राज्य के विभिन्न पहलुओं तथा सरकार के तीन अंगों-कार्यकारिणी, विधायिका एवं न्यायपालिका के अंतर्गत प्रमुख संस्थाओं की संरचना, अधिकार तथा कार्यो की पहचान करता है, परिभाषित करता है और नियमित करता है। यह नागरिकों के अधिकारों एवं उनकी स्वतन्त्रताओं का प्रावधान करता है और वैयक्तिक नागरिक तथा राज्य और सरकार के बीच के संबंधों को स्पस्ट करता है।

संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है लेकिन इसमें देश के मूलभूत कानून समाविष्ट होते हैं। यह सर्वोच्य एवं परम मान्य ग्रन्थ होता है। कोई भी निर्णय या कार्यवाही जो संविधान के अनुरूप नहीं हो वह असंवैधानिक और गैर-कानूनी मानी जाती है। संविधान सत्ता के दुरूपयोग को टालने के लिए सरकार की शक्तियों पर सीमाएँ लगाता है। इसके अतिरिक्त, यह एक स्थिर नहीं बल्कि एक जीवन्त दस्तावेज होता है, क्योंकि इसे अद्यतन बनाए रखने के लिए समय-समय पर संशाधित करना आवश्यकता होता है। इसकी नमनशीलता लोगों की बदलती आकांक्षाओं, समय की जरूरतों तथा समाज में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार इसे परिवर्तित होते रहने योग्य बनाती है।

क्या आप जानते हैं

अधिकतर लोकतांत्रिक देशों के संविधानों से भिन्न ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा अलिखित है जिसका संहिताकरण नहीं किया गया। इसका निर्माण सुंयक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधान की तरह एक पूर्ण दस्तावेज के रूप में नहीं किया गया था। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान लिखित संविधान हैं।

15.1.2 भारतीय संविधान

क्या आपने भारतीय संविधान का दस्तावेज देखा है? क्या आप निम्नांकित चित्र में उसके मुखपृष्ठ को पहचान सकते हैं? यदि आपने इसे देखा है या आपको इसे देखने का मौका मिलता है तो आप इस बात से सहमत होंगे कि यह बहुत ही बड़ा है। वास्तव में, भारत का संविधान दुनियाँ के सभी संवधिानों में सबसे लम्बा संविधान है, इसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया

गया था। यह सभा जनप्रतिनिधियों द्वारा गठित हुई थी। इसके अधिकतम सदस्य स्वतन्त्रता आन्दोलन में शामिल थे। उन्हें आदर से संविधान निर्माता कहा जाता है। संविधान निर्माण प्रक्रिया पर निम्नांकित कारकों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था :

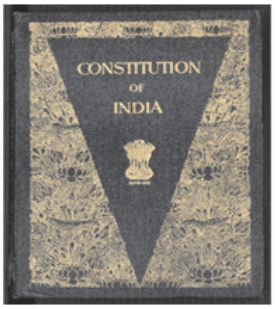

चित्र 15.1

(क) लंबे समय तक चले स्वतंत्रता आंदोलन द्वारा पैदा की गई आकांक्षाएँ

(ख) ब्रिटिश शासन के दौरान हुए राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव;

(ग) गांधीवाद के नाम से लोकप्रिय महात्मा गांधी की विचारधारा;

(घ) देश की सामाजिक संस्कृति सोच और परिवेश; तथा

(ड) दुनिया के अन्य लोकतान्त्रिक देशों में संविधानों के क्रियान्वयन के अनुभव।

भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तब से इस दिन को प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

क्या आप जानते है

संविधान सभा ने 9 दिसम्बर, 1946 को संविधान बनाने का कार्य प्रारम्भ किया। 11 दिसम्बर 1946 को डा. राजेन्द्र प्रसाद इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए। डा. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दो वर्ष 11 महीने 18 दिन की अवधि में संविधान सभा की 166 दिन बैठक हुई। संविधान निर्माण 26 नवम्बर 1949 को पूरा हुआ तथा उस दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान के प्रारूप को अंगीकृत किया।

भारत का संविधान भारत की राजनीतिक व्यवस्था के सभी पहलुओं के साथ-साथ इसके आधारभूत उद्देश्यों को भी परिभाषित करता है। इसके प्रावधान (क) भारक का भू-क्षेत्र (ख) नागरिकता (ग) मौलिक अधिकार (घ) राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्त्तव्य (ड़) केन्द्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकारों की संरचना और कार्यप्रणाली तथा (च) राजनीतिक व्यवस्था के कई अन्य पक्ष से सम्बन्धित हैं। यह भारत को एक सम्प्रभुत्व लोकतांत्रिक समाजवादी तथा पंथनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में परिभाषित करता हैं। इसमें सामाजिक बदलाव लाने तथा नागरिक और राज्य के आपसी संबंधों को परिभाषित करने संबंधी प्रावधान हैं।

क्रियाकलाप 15.1

भारत के संविधान की प्रति को पुस्तकायल से उपलब्ध करिए या इन्टरनेट पर देखिए। अपने पास-पड़ोस में निकटतम स्थान में अवस्थित किसी और सरकारी संगठन या खेल क्लब, विद्यार्थी संघ, शिक्षक संघ या सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन का पता लगाइए। उनसे अनुरोध कर उनके संगठन के संविधानों की प्रति प्राप्त कीजिए।

भारतीय संविधान की तुलना उन संगठनों के संविधानों के साथ कीजिए। दोनों तरह के संविधान में क्या-क्या अंतर हैं, संक्षेप में लिखिए।

पाठगत प्रश्न 15.1

1. संविधान का क्या अर्थ है?

2. रिक्त स्थान भरिए :

   (i) भारतीय संविधान ..... संविधान है।

   (ii) भारतीय संविधान का निर्माण ..... द्वारा हुआ था।

   (iii) भारतीय संविधान एक जीवन्त दस्तावेज है, क्योंकि इसे ..... बनाए रखना जरूरी है।

   (iv) प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ..... के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि संविधान ..... को लागू हुआ।

15.2 संवैधानिक मूल्य

किसी भी देश का संविधान अनेक उद्देश्यों को पूरा करता है। यह कुछ ऐसे आदर्शों को निर्धारित करता है, जो ऐसे देश का आधार बनते हैं जिसमें हम नागरिकों की तरह रहने की आकांक्षा रखते हैं। सामान्यतः एक देश लोगों के विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। यह आवश्यक नहीं की ये लोग सभी मुद्दों पर आवश्यक रूप से एकमत होते हैं। लेकिन वे कुछ आस्थाओं में साझेदारी करते हैं। संविधान सिद्धान्तों, नियमों तथा प्रक्रियाओं का एक ऐसा सेट प्रस्तुत करता है, जिसके आधार पर आम सहमति विकसित होती है। लोग चाहते हैं कि देश का शासन इसी सहमति के आधार पर संचालित हो तथा समाज आगे बढ़े। यह सहमति उन आदर्शो पर भी बनती है, जिन्हें बनाए रखा जाए। भारतीय संविधान में भी कुछ केन्द्रिक सांविधानिक मूल्य हैं जो इसके विभिन्न अनुच्छेदों तथा प्रावधानों में अभिव्यक्त होते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि 'मूल्य' शब्द का अर्थ क्या होता है? आप तुरंत यह कहेंगे कि सत्य, अहिंसा, शान्ति, सहयोग, ईमानदारी, आदर तथा दया मूल्य हैं। आप ऐसे अनेक मूल्यों की सूची बना सकते हैं। वास्तव में आम समझ के अनुसार मूल्य ऐसी चीज है जो बहुत आवश्यक है तथा जिसका पालन करना मानव समाज के अस्तित्त्व के लिए वांछनीय है। भारतीय संविधान में एसे सभी सार्वभौम, मानवीय तथा लोकतांत्रिक मूल्य निहित हैं।

क्रियाकलाप 15.2

निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। इनमें से ऐसे 6 शब्दों को चुनिए, जिन्हें आप अपने लिए मूल्य मानते हैं। उन शब्दों को दिए गए बॉक्स में लिखिए।

स्वतन्त्रता, प्रेम, पैसा, धुन, रचनात्मकता, महत्वाकांक्षा, प्रेरणा, खुशी, उत्तेजना, ज्ञान, सफलता, प्रसिद्धि, जोखिम, उत्साह, शांति, मित्रता, निद्रा, सुन्दरता

टिप्पणी

1.	4.
2.	5.
3.	6.

इन 6 मूल्यों में से ऐसे मूल्य को चुनिए जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं। ऐसे दो कारण लिखिए जिसके आधार पर आप इसको सबसे महत्वपूर्ण मूल्य मानते हैं।

मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्य ..... है।
इसके कारण हैं
1. .....
2. .....

क्या आप यह सोचते हैं कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्य आपकी मनोवृत्ति तथा आपके व्यवहार को प्रभावित करता है? उदाहरणस्वरूप, एक व्यक्ति जो अहिंसा के मूल्य में विश्वास रखता है, हमेशा अपने व्यवहार में अहिंसक होता है।

15.2.1 सांविधानिक मूल्य तथा संविधान की प्रस्तावना

क्या आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? जैसा पहले कहा गया है, सांविधानिक मूल्य भारत के संविधान में सभी जगह प्रतिबिम्बित हैं, लेकिन इसकी प्रस्तावना में ऐसे मूलभूत मूल्यों तथा दर्शन को समाहित किया गया है, जिनपर पूरा संविधान आधारित है। किसी भी संविधान की प्रस्तावना एक ऐसा प्रारम्भिक विवरण प्रस्तुत करता है जिसमें पूरे दस्तावेज के निर्देशक सिद्धान्तों की चर्चा होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी ऐसा ही है। इसमें सम्मिलित मूल्यों को संविधान के उद्देश्यों की तरह अभिव्यक्त किया गया है। ये हैं संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतन्त्र, भारत राज्य की गणतान्त्रिक प्रकृति, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुता, मानवीय गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता। इन सांविधानिक मूल्यों की चर्चा नीचे की गई है :

1. **सम्प्रभुता :** आपने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा होगा। यह भारत को एक ''सम्प्रभु पंथनिरपेक्षी लोकतांत्रिक गणराज्य'' घोषित करता है। सम्प्रभु होने का अर्थ यह है कि भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता है तथा सर्वोच्च सत्ता इसके पास है। अर्थात् भारत आन्तरिक तौर पर सर्वशक्तिमान है तथा बाह्य दृष्टि से पूरी तरह स्वतन्त्र है। यह बिना किसी हस्तक्षेप (किसी देश या किसी व्यक्ति द्वारा) अपने बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र है। साथ ही, देश के अन्दर भी कोई इसकी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता। सम्प्रभुता की यह विशेषता हम लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में एक राष्ट्र की तरह अपना अस्तित्व बनाए रखने का गौरव प्रदान करती है। यद्यपि संविधान स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता कि यह सम्प्रभुता कहाँ निहित हैं। किन्तु प्रस्तावना में ''हम भारत के लोग'' कहना यह ईंगित करता है कि सम्प्रभुता भारत की जनता में निहित है। स्पष्ट है कि संवैधानिक पदाधिकारी एंव सरकार के सभी अंग लोगों से ही शक्तियाँ प्राप्त करते हैं।

2. **समाजवाद :** आप यह जानते होंगे की सामाजिक तथा आर्थिक असमानताएँ भारतीय परम्परावादी समाज में अन्तर्निहित हैं। यही कारण है कि समाजवाद को एक सांविधानिक मूल्य माना गया है। इस मूल्य का उद्देश्य सभी तरह की असमानताओं का अन्त करने के लिए सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान सभी क्षेत्रों में योजनवद्ध तथा समन्वित सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकारों तथा लोगों को निर्देश देता है। यह कुछ हाथों में धन तथा शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने का निर्देश भी देता है। संविधान के मूल अधिकारों तथा राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के अध्यायों में असमानताओं को दूर करने से सम्बन्धित विशिष्ट प्रावधान हैं।

? क्या आप जानते हैं

राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के अन्तर्गत किए गए निम्नलिखित प्रावधान समाजवाद के मूल्य को बढ़ावा देते हैं :

''राज्य विशेषतौर पर, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहनेवाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा'' (अनुच्छेद 38(2)

''राज्य अपनी नीति का संचालन विशेष रूप से, यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि : (क) पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो; (ख) समुदाय की भौतिक सम्पदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित सर्वोत्तम साधन हो; (ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे घन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केन्द्रीकरण न हो; (घ) पुरूषो और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो ...(अनुच्छेद 39)

3. **पंथ निरपेक्षता :** हम सभी खुश हो जाते हैं, जब कोई यह कहता है कि भारत में दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का निवास है। इस बहुलता के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता एक महान सांविधानिक मूल्य है। पंथ निरपेक्षता का मतलब यह है कि हमारा देश किसी एक धर्म या किसी धार्मिक सोच से निर्देशित नहीं होता। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि भारत राज्य धर्म के विरूद्ध है। यह अपने सभी नागरिकों को किसी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक प्रदान करता है। साथ ही संविधान धर्म पर आधारित किसी भेदभाव पर सख्त रोक लगाता है।

4. **लोकतंत्र :** प्रस्तावना लोकतन्त्र को एक मूल्य के रूप में दर्शाती है। लोकतंत्र में सरकार अपनी शक्ति लोगों से प्राप्त करती है। जनता देश के शासकों का निर्वाचन करती है तथा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के लोग इनको सार्वभौम वयस्क मताधिकार की व्यवस्था के द्वारा विभिन्न स्तरों पर शासन मे भाग लेने के लिए निर्वाचित करते हैं। यह व्यवस्था ''एक व्यक्ति एक मत'' के रूप में जाना जाता है। लोकतन्त्र स्थायित्व और समाज की निरन्तर प्रगति में योगदान करता है तथा शान्तिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन को भी सुनिश्चित करता है। यह विरोध को स्वीकार करता है तथा सहिष्णुता को प्रोत्साहित करता है। महत्वपूर्ण यह भी है कि लोकतन्त्र कानून के शासन, नागरिकों के अहरणीय अधिकारों, न्यायपालिका

टिप्पणी

की स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव तथाा प्रेस की स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों पर आधारित है।

5. **गणतन्त्र :** भारत केवल लोकतान्त्रिक देश ही नहीं बल्कि एक गणतन्त्र भी है। गणतन्त्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक राज्याध्यक्ष, अर्थात राष्ट्रपति का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित है। राजतन्त्र में राज्याध्यक्ष का पद वंशानुत होता है। यह मूल्य लोकतंत्र को मजबूत एवं प्रामाणिक बनाता है, जहाँ भारत का प्रत्येक नागरिक राज्याध्यक्ष के पद पर चुने जाने की समान योग्यता रखता है। इस मूल्य का प्रमूख संदेश राजनीतिक समानता है।

6. **न्याय :** कभी-कभी आप यह महसूस करते होंगे कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में रहने मात्र से यह सुनिश्चित नहीं होता कि नागरिकों को पूर्णतः न्याय मिलेगा ही। अभी भी कई ऐसे मामले हैं जहाँ न केवल सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, बल्कि राजनीतिक न्याय भी नहीं मिला है। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को सांविधानिक मूल्यों का स्थान दिया है। ऐसा करके उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि भारतीय नागरिक को दी गई राजनीतिक स्वतन्त्रता सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में सहायक होगी। प्रत्येक नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। न्यायपूर्ण एवं समतावादी समाज का आदर्श भारतीय संविधान के प्रमुख मुल्यों में एक है।

7. **स्वतन्त्रता :** प्रस्तावना में चिंतन, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था तथ उपासना की स्वतन्त्रता को एक केन्द्रिक मूल्य के रूप में निर्धारित किया गया है। इन्हें सभी समुदायों के प्रत्येक सदस्य के लिए सुनिश्चित करना है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि व्यक्तियों के स्वतन्त्र एवं सभ्य अस्तित्व के लिए आवश्यक कुछ न्यूनतम अधिकारों की मौजूदगी के बिना लोकतन्त्र के आदर्शो को प्राप्त नहीं किया जा सकता।

8. **समानता :** अन्य मूल्यों की तरह समानता भी एक महत्वपूर्ण सांविधानिक मूल्य है। संविधान प्रत्येक नागरिक को उसके सर्वात्तम विकास के लिए प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। एक मनुष्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का एक सम्मानजनक व्यक्तित्त्व है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति इसका पूरी तरह उपभोग कर सके, समाज में तथा देश में हर प्रकार की असमानता पर रोक लगा दी गई है।

9. **बन्धुता :** प्रस्तावना में भारत के लोगों के बीच भाईचारा स्थापित करने के उद्देश्य से बन्धुता के मूल्य को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया गया है। इसके अभाव में भारत का बहुलवादी समाज विभाजित रहेगा। अतः न्याय, स्वतन्त्रता और समानता जैसे आदर्शो को अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रस्तावना ने बन्धुता को बहुत महत्व दिया है। बन्धुता को चरितार्थ करने के लिए समुदाय से छुआछूत का उन्मूलन मात्र पर्याप्त नहीं। यह भी आवश्यक है कि वैसी सभी साम्प्रदायिक, कट्टरपंथी या स्थानीय भेदभाव की भावनाओं को समाप्त कर दिया जाय, जो देश की एकता के मार्ग में बाधक हों।

10. **व्यक्ति की गरिमा :** बन्धुता को प्रोत्साहित करना व्यक्ति की गरिमा को साकार बनाने के लिए अनिवार्य है प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित किए बिना लोकतन्त्र क्रियाशील नहीं हो सकता। यह लोकतान्त्रिक शासन की सभी प्रक्रियाओं में प्रत्येक व्यक्ति की समान भागीदारी को सुनिश्चित करती है।

11. **राष्ट्र की एकता और अखण्डता :** बन्धुता एक अन्य महत्वपूर्ण मूल्य, राष्ट्र की एकता और अखण्डता, को भी बढ़ावा देता है। देश की स्वतन्त्रता को कायम रखने के लिए एकता तथा अखण्डता अनिवार्य है। इसीलिए संविधान देश के सभी निवासियों के बीच एकता पर विशेष बल देता है। भारत के सभी नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे देश की एकता और अखण्डता की रक्षा अपने कर्त्तव्य के रूप में करें।

12. **अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा न्यायसंगत अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था :** यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा न्यायसंगत अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं हैं, लेकिन यह संविधान के अन्य प्रावधानों में प्रतिबिम्बित हैं। भारतीय संविधान राज्य को (क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का; (ख) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का; (ग) संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का; (घ) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का निर्देश देता है। इन मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखना तथा इनकी रक्षा करना भारत के हित में है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा न्यायसंगत अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का भारत के विकास में बड़ा योगदान होगा।

13. **मौलिक कर्त्तव्य :** भारतीय संविधान नागरिकों द्वारा पालन किए जाने वाले मौलिक कर्त्तव्यों को निर्धारित करता है। यह सच है कि मूल अधिकारों की तरह इन कर्त्तव्यों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन संविधान ने इन्हें मौलिक कर्त्तव्यों का दर्जा दिया है। इनका इसलिए भी अधिक महत्व है, क्योंकि इनमें देशप्रेम, राष्ट्रवाद, मानवतावाद, पर्यावरणवाद, सद्भावपूर्ण जीवन यापन, लैंगिक समानता, वैज्ञानिक मनोदशा तथा परिपृच्छा और व्यक्तिगत एवं सामूहिक श्रेष्ठता जैसे मूल्य प्रतिबिम्बित हैं।

पाठगत प्रश्न 15.2

1. मूल्य शब्द से आप क्या समझते हैं?
2. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित दो महत्वपूर्ण सांविधानिक मूल्यों को बताएँ। आप इन दोनों मूल्यों को बहुत महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं?
3. नीचे कॉलम 'अ' में दिए गए मूल्यों/उद्देश्यों का कॉलम 'ब' में दिए गए कथनों के साथ मेल मिलाइए।

'अ' सांविधानिक मूल्य/उद्देश्य	'ब' कथन
(i) संप्रभुता	क. सभी तरह की असमानताओं को समाप्त करने के लिए सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना
(ii) समाजवाद	ख. जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन
(iii) पंथ निरपेक्षता	ग. बिना किसी भेदभाव के समान बर्ताव
(iv) लोकतन्त्र	घ. राज्याध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति होता है
(v) समानता	ड. धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतन्त्रता

(vi) स्वतन्त्रता

(vii) बन्धुता

(viii) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं न्यायसंगत अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था

(ix) गणतन्त्र

च. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा तथा राष्ट्रों के बीच सम्मानपूर्ण संबंध

छ. पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा सर्वोच्च सत्ता

ज. चिन्तन, अभिव्यक्ति एवं विश्वास की स्वतन्त्रता

झ. सामान्य भाईचारा की भावना

क्रियाकलाप 15.3

कम-से-कम 5 लोगों के विचार इस प्रश्न पर इकठ्ठा कीजिए कि वे यह सोचते हैं कि सांविधानिक मूल्यों को कितना साकार बनाया गया है या सांविधानिक उद्देश्यों को कितनी दूर तक पूरा किया जाता है?

ये लोग आपकी कक्षा के मित्र या शिक्षक या आपके परिवार के सदस्य या आपके पड़ोस में रहने वाले समाजिक कार्यकर्ता या कोई अन्य हो सकते हैं। नीचे की तालिका के एक कॉलम में सांविधानिक मूल्यों तथा उद्देश्यों को लिखा गया है। दूसरे कॉलम में उन कम-से-कम 5 लोगों द्वारा अंक देना है। उन्हें कुल 10 अंकों में से मूल्यों/उद्देश्यों के सम्बन्ध में उपलब्धि के मूल्यांकन के आधार पर अंक देना है।

सांविधानिक मूल्य/उद्देश्य	जितनी उपलब्धि हुई है, के आधार पर कुल 10 अंको में दिया गया अंक				
	व्यक्ति 1	व्यक्ति 2	व्यक्ति 3	व्यक्ति 4	व्यक्ति 5
सामाजिक तथा आर्थिक न्याय					
चिंतन तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता					
प्रतिष्ठा और अवसर की समानता					
राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता					
छुआछूत उन्मूलन					
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा					
सार्वभौम वयस्क मताधिकार					
भारत की जनता में निहित संप्रभुता					
न्यायालिका की स्वतन्त्रता					

सभी लोगों के उत्तर के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालिए कि किस मूल्य। उद्देश्य को सबसे अधिक साकार बनाया गया है तथा किसको सब से कम। इसके कारणों का पता लगाने का प्रयास कजिए।

15.2.2 मूल्य तथा संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

प्रस्तावना में निहित सांविधानिक मूल्यों के अब तक के विवरण से यह स्पष्ट है कि ये भारतीय लोकतन्त्र के सफल संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। हर मूल्य के बारे में आपकी समझ और भी अधिक अच्छी होगी जब आप नीचे की गई चर्चा में यह पाएंगे कि सांविधानिक मूल्य भारतीय संविधान की सभी प्रमुख विशेषताओं में व्याप्त हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं :

1. **लिखित संविधान :** जैसा कि पहले कहा गया है, भारत का संविधान सबसे लम्बा लिखित संविधान है। इसमें प्रस्तावना, 22 भागों में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ तथा 5 परिशिष्ट हैं। यह मौलिक कानूनों का दस्तावेज है, जो राजनीतिक पद्धति की प्रकृति तथा सरकार के अंगों की संरचना एवं क्रियाशीलता को परिभाषित करते हैं। यह भारत की एक लोकतान्त्रिक राष्ट्र की व्यापक दृष्टि अभिव्यक्त करता है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों और मौलिक कर्त्तव्यों को स्पष्ट करता है तथा ऐसा करते हुए उनमें केन्द्रिक सांविधानिक मूल्यों को प्रतिबिम्बित करता है।

2. **अनमनशीलता तथा नमनशीलता का अनोखा मिश्रण :** अपने दैनिक जीवन में यह अनुभव करते हैं कि लिखित दस्तावेजों में परिवर्तन लाना आसान नहीं होता। जहाँ तक संविधान की बात है, लिखित संविधान सामान्यतया अनमनशील होते हैं। उनमें बार बार परिवर्तन करना आसान नहीं होता। संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान होता है। ब्रिटिश संविधान जैसे अलिखित संविधानों में साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा ही संशोधन किए जाते हैं। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे लिखित संविधानों में संशोधन करना बड़ा ही कठिन होता है। किन्तु भारत का संविधान न तो ब्रिटिश संविधान की तरह नमनशील है, न ही अमरीकी संविधान की तरह अनमनशील। इसमें निरन्तरता के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। भारतीय संविधान में तीन तरीके से संशोधन किया जा सकता है : कुछ प्रावधानों में संसद के साधारण बहुमत के समर्थन से संशोधन किया जा सकता है। लेकिन कुछ अन्य प्रावधानों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत तथा तीसरी श्रेणी के प्रावधानों के संबंध में संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ, कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति की भी आवश्यकता पड़ती है।

3. **मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य :** आप मौलिक अधिकार पद से परिचित होंगे। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के लिए एक अलग अध्याय है। इस अध्याय को भारतीय संविधान का ''अन्तःकरण'' कहा जाता है। मौलिक अधिकार राज्य के द्वारा शक्ति के स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश प्रयोग के विरूद्ध नागरिकों की रक्षा करते हैं। संविधान नागरिकों को राज्य के विरूद्ध और अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। संविधान अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के विरूद्ध अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। इन अधिकारों के अतिरिक्त संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों का भी प्रावधान है। ये मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्त्तव्य कई महत्वपूर्ण सांविधानिक मूल्यों को प्रतिबिम्बित करते हैं।

4. **राज्य के नीति निदेशक तत्त्व :** मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त संविधान में एक अन्य अध्याय है, जिसका नाम राज्य के नीति निदेशक तत्त्व है। यह भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि भारत में अधिक से अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जांए। साथ ही राज्य के नीति निदेशक तत्त्व राज्य को ऐसी नीतियाँ तथा ऐसे कानून बनाने का निर्देश देते हैं, जिनसे जनता में गरीबी घटे तथा सामाजिक भेदभाव समाप्त हों। जैसा कि आपने '' भारत एक कल्याणकारी राज्य'' नामक पाठ में पढ़ा है, भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना इन प्रावधानों का लक्ष्य है।

5. **एकीकृत न्यायिक व्यवस्था :** संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी संघात्मक व्यवस्था की न्यायिक व्यवस्थ के विपरीत भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय तथा जिला एवं निचले स्तर पर अधीनस्थ नयायालय हैं। लेकिन ये सभी एक ही पदानुक्रम के अंग हैं। इस पदानुक्रम के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान तरह से न्याय दिए जाने को सुनिश्चित करना है। इस व्यवस्था से सम्बन्धित सांविधानिक प्रावधान न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करते हैं; क्योंकि यह एकीकृत न्यायपालिका कार्यकारिणी तथा विधायिका के प्रभावों से मुक्त होती है।

6. **एकल नागरिकता :** भारत का संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। क्या आप इसका मतलब समझते हैं? इसका अर्थ है कि भारत में सभी भारत के नागरिक हैं, चाहे उनका जन्म किसी भी स्थान में हुआ हो या वे कहीं भी रहते हों। यह व्यवस्था संयुक्तराज्य अमेरिका की व्यवस्था से भिन्न है, जहाँ दोहरी नागरिकता की व्यवस्था हैं वहाँ का व्यक्ति किसी एक राज्य का नागरिक है जहाँ वह रहता है। साथ ही वह संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक है। भारतीय संविधान द्वारा दी गई इकहरी नागरिकता निश्चित रूप से समानता, एकता और अखण्डता के मूल्यों की समझ बनाती है।

7. **सार्वभौम वयस्क मताधिकार :** समानता तथा न्याय के मूल्य की तरह संविधान की एक अन्य विशेषता, सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। यहाँ प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित उम्र (18 वर्ष) का हो जाने के बाद मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश तथा जन्मस्थान या निवास स्थानके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।

8. **संघीय व्यवस्था तथा संसदीय सरकार :** भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता यह है कि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था तथा संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया है। इनके संबंध में व्यापक चर्चा हम नीचे करेंगे। लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि संघीय व्यवस्था में राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता के सांविधानिक मूल्य प्रतिबिम्बित हैं। साथ ही इसमें शक्ति के विकेन्द्रीकरण का मूल्य भी निहित है। सरकार के संसदीय स्वरूप में जनता में निहित उत्तरदायित्व और सम्प्रभुता के मूल्य प्रतिबिम्बित है। संसदीय प्रणाली का केन्द्रिक सिद्धान्त जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली विधायिका के प्रति कार्यकारिणी का उत्तरदायित्व है।

पाठगत प्रश्न 15.3

1. भारतीय संविधान की कौन-कौन सी प्रमुख विशेषताएँ हैं?
2. राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में कौन-कौन से सांविधानिक मूल्य प्रतिबिम्बित हैं?
3. भारतीय न्यायापलिका को एकीकृत न्यायपालिका क्यों कहते हैं?
4. एकल या इकहरी नागरिकता का अर्थ क्या है?

15.3 भारत में सघीय व्यवस्था

आपने यह पाया होगा कि जब भी भारत की राजनीतिक पद्धति की प्रकृति, संरचना तथा प्रक्रियाओं पर चर्चा होती है तो यह कहा जाता है कि भारत एक संघीय राज्य है। सामान्यतया विश्व में दो प्रकार के राज्य हैं। वह राज्य जहाँ पूरे देश में केवल एक ही सरकार है। उसे एकात्मक राज्य कहते हैं। यूनाइटेड किंग्डम एक एकात्मक राज्य है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा ऐसे राज्य हैं, जहाँ दो स्तरों पर सरकारें हैं : एक केन्द्रीय स्तर पर तथा दूसरी राज्य (संघीय इकाई) के स्तर पर। दो स्तरों की सरकारों के अतिरिक्त संघीय पद्धति की निम्न विशेषताएँ होती हैं :

(i) लिखित संविधान, (ii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन, तथा (iii) संविधान की व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका की सर्वोच्चता। भारत की संघीय पद्धति में भी ये तीनों विशेषताएँ विद्यमान है। भारतीय संघीय पद्धति की प्रकृति का परीक्षण हम नीचे कर रहे हैं।

15.3.1 भारतीय संघीय पद्धति की विशषताएँ

1. **द्विसोपानीय सरकार :** आपने यह सुना होगा कि भारतीय संविधान के द्वारा दो स्तरों पर सरकारों का प्रावधान किया गया है - एक सारे देश के लिए, जिसे केन्द्रीय सरकार कहते हैं तथा दूसरी प्रत्येक इकाई यानि राज्य के लिए, जिसे राज्य सरकार कहते हैं। कभी-कभी आपने भारत में त्रिसोपानीय सरकार की चर्चा सूनी होगी। क्योंकि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अलावा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय सरकारों का एकअलग सोपन होता है। किन्तु संविधान के अनुसार भारत में द्विसोपानीय सरकार है। स्थानीय सरकारों को अलग अधिकार क्षेत्र नहीं दिए गए हैं। ये राज्य सरकारों के अन्दर ही कार्य करते हैं।

2. **शक्तियों का विभाजन :** अन्य संघों की तरह, भारतीय संघ में भी केन्द्र तथा राज्य सरकारों को सांविधानिक स्थिति प्राप्त है। उनके कार्य क्षेत्र को भी संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। संविधान द्वारा दोनों सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, कोई भी अपनी सीमा को नहीं छोडता या न ही दूसरे के कार्य क्षेत्रों का अतिक्रमण करता है। संविधान में तीन सूचियों द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है संघ सूची, राज्यसूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय हैं जैसे, रक्षा, रेलवे, डाक, एवं तार आदि। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के 66 विषय हैं। जैसे लोक स्वास्थय, पुलिस,

स्थानीय स्वशासन आदि। समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए हैं जैसे शिक्षा, बिजली, श्रम-संघ, आर्थिक एवं सामाजिक योजना आदि। इस सूची पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों का समवर्ती अधिकार क्षेत्र है। हालांकि, संविधान ने ऐसे विषयों की जो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में नहीं आते, केन्द्र सरकार को सौंपा है। ऐसे अधिकारों को अवशिष्ट अधिकार कहा जाता है। यदि शक्ति विभाजन के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो उसका निपटारा न्यायपालिका द्वारा सांविधानिक प्रावधानों के आधार पर किया जाता है।

3. **लिखित संविधान :** जैसा हम लोगों ने पहले देखा है, भारत का एक लिखित संविधान है, जो सर्वोच्च है। यह केन्द्र तथा राज्य दोनो सरकारों के लिए शक्ति श्रोत है। ये दोनो ही सरकारें अपने-अपने शासन क्षेत्र में स्वतन्त्र हैं। भारतीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरह अनमनीय नहीं है, यह एक नमनीय संविधान भी नहीं है। यह अनमनीयता तथा नमनीयता का अनोखा मिश्रण है।

? क्या आप जानते हैं

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 21 जून 1788 को स्वीकृत होने के बाद केवल 27 संविधान संशोधन हुए हैं, लेकिन भारतीय संवधिान में 26 जनवरी, 1950 से जनवरी, 2013 तक 120 संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जा चुके हैं जिनमें से 98 संविधान संशोधन अधिनियम बन चुके हैं। (स्त्रोतः india.gov.in)

4. **स्वतन्त्र न्यायपालिका :** संघीय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता स्वतन्त्र न्यायपालिका है। इसे इसलिए स्वतन्त्र रखा जाता है ताकि वह संविधान की व्याख्या कर सके तथा उसकी पवित्रता को बरकरार रख सके। भारत में भी न्यायपालिका स्वतन्त्र है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच के विवादों का निपटारा करना भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र है। यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो यह उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।

15.3.2 भारतीय संघीय व्यवस्था-मजबूत केन्द्र

उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की सभी विशेषताएँ विधमान हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह कथन पढ़ा है - '' भारतीय व्यवस्था का स्वरूप संघीय है लेकिन आत्मा एकात्मक है।'' ऐसा इसलिए कहा जाता है, क्योंकि भारत में केन्द्र सरकार बहुत मजबूत है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय की अवस्था तथा सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा जानबुझकर किया गया था। भारत लगभग एक महाद्वीप जैसा विशाल देश है। इसकी विविधताएँ एवं सामाजिक बहुलकवाद भी अनोखा है। संविधान निर्माताओं का इसीलिए यह विश्वास था कि भारत में एक ऐसी संघीय व्यवस्था होनी चाहिए जो इन विविधताओं तथा बहुलवाद को समायोजित कर सके। जब भारत आजाद हुआ तो इसके समक्ष देश की एकता एवं अखण्डता को सुरक्षित रखने तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने जैसी गंभीर चुनौतियाँ थीं। भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए प्रान्तों में तो विभाजित था ही। इनके अतिरिक्त यहाँ 500 से भी अधिक रजवाड़े थे, जिन्हें विभिन्न राज्यों में समाहित करना था या नए राज्य बनाने थे।

इसी संदर्भ में जानबूझकर केन्द्रीय सरकार को मजबूत बनाया गया। देश की एकता से सम्बधित चिन्ता के अतिरिक्त संविधान निर्माताओं ने यह भी सोचा कि सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान राज्यों के सहयोग से एक मजबूत केन्द्रीय सरकार ही कर सकती है। गरीबी , निरक्षरता, सामाजिक असमानताएँ तथा सम्पदा की असमानताएँ ऐसी समस्याएँ थीं, जिनके लिए एकीकृत योजना बनाना, उसे कार्यान्वित करना तथा समन्वय स्थापित करना आवश्यक था। हम नीचे उन प्रावधानों की चर्चा करेंगे, जिनके द्वारा केन्द्रीय सरकार को मजबूत बनाया गया।

1. संविधान का पहला अनुच्छेद ही यह ईंगित करता है कि भारतीय संघ व्यवस्था भिन्न है। इस अनुच्छेद में भारत को एक ''संघ'' (फेडरल) नहीं कहा गया है। भारत के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र पर केन्द्र सरकार का अधिकार है। राज्यों का अस्तित्व तथा देश की क्षेत्रीय अखण्डता संसद के हाथों में है। संसद को किसी राज्य के कुछ क्षेत्र को अलग कर या दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य को निर्मित करने का अधिकार है। यह किसी राज्य की सीमा में भी बदलाव ला सकती है तथा किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है। हालांकि संविधान ने कुछ बचाव के प्रावधान किए हैं। इन मुद्दों पर केन्द्रीय सरकार को सम्बन्धित राज्य की विधायिका की राय लेना आवश्यक है।

? क्या आप जानते हैं

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कई नये राज्यों का निर्माण किया गया है। 2000-2001 में तीन नये राज्यों का निर्माण तीन राज्यों से क्षेत्रों को अलग कर किया गया : मध्यप्रेदश से अलगकर छत्तीसगढ़, बिहार से अलगकर झारखंड तथा उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड बना। वैसा करने के कई कारण थे जिनमें से एक था उन क्षेत्रों में धीमी विकास गति।

2. शक्तियों का विभाजन भी केन्द्रीय सरकार के पक्ष में है। संघ सूची में सभी महत्वपूर्ण विषयों को रख गया है। इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची के संबंध में भी संविधान ने केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से अधिक प्रभावशाली भूमिका दी गई है। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून एवं राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून में विरोध हो तो संसद द्वारा बनया गया कानून ही प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता हुई तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। इसके लिए राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक होगी।

3. संघीय व्यवस्था में दोहरी न्यायपालिका होती है। लेकिन भारत की न्यायिक व्यवस्था एकीकृत तथा समाकलित है तथा इसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है।

4. जब किसी तीन संकटकालीन स्थितियों में से किसी एक की घोषणा हो जाए तो केन्द्रीय सरकार बहुत शक्तिशाली हो जाती है। संकटकालीन स्थिति संघीय व्यवस्था को एकीकृत एवं केन्द्रित व्यवस्था में बदल सकती है। वैसी स्थिति में राज्यों के अधीन विषयों पर संसद कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी राज्य में या उसके किसी भाग में उपद्रव हो तो केन्द्रीय सरकार राज्य में या उसके उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र में केन्द्रीय बल को तैनात कर सकती है।

5. जैसा आप ''राज्यस्तर का शासन'' नामक पाठ में पढ़ेंगे, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अर्थात, केन्द्रीय सरकार, द्वारा होती है। यदि राज्य में संवैधानिक संकट उन्पन्न हो जाए तो राज्यपाल अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेज सकता है तथा अपने प्रतिवेदन में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की संस्तुति कर सकता है। जब केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्य की मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है तथा राज्यपाल केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में शासन का संचालन करता है। राज्य विधान सभा भंग की जा सकती है या निलम्बित की जा सकती है। सामान्य अवस्था में भी राज्यपाल राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। इसके द्वारा केन्द्रीय सरकार को राज्य के विधायन प्रक्रिया में देर करने या उस विधेयक को अस्वीकार कर देने का अवसर मिल जाता है।

6. केन्द्रीय सरकार को प्रभावशाली वित्तीय अधिकार एवं उत्तरदायित्त्व प्राप्त हैं। सबसे पहले, राजस्व उन्पन्न करने वाले सभी मद केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में हैं। राज्य अधिकतर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान तथा वित्तीय सहायता पर निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में स्वतन्त्रता के बाद योजना को तेज आर्थिक प्रगति एवं विकास के एक साधन के रूप में अपनाया गया है। इसके कारण भी निर्णय लेने की प्रक्रिया का केन्द्रीयकरण हुआ है।

7. अन्ततः संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यकारिणी अधिकार राज्यों के कार्यकारिणी अधिकारों से श्रेष्ठ हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। साथ ही भारत में एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था है। अखिल भारतीय सेवाएँ भारत के समूचे क्षेत्र के लिए समान है। तथा इनके तहत चुने हुए पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन तंत्र में कार्य करते हैं। इस प्रकार एक आई.ए.एस. पदाधिकारी राज्य के अन्दर एक कलक्टर के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन वे सभी केन्द्रीय सरकार के अधीन होते हैं। राज्य उनके विरूद्ध कोई प्रशासनिक या अनुशासन से संबंधित कार्यवाही नहीं कर सकता है न तो इन्हें पद मुक्त कर सकता है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय सरकार की स्थिति राज्य सरकारों से मजबूत है। राज्यों को केन्द्र के साथ सहयोग करना पड़ता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान का स्वरूप संघीय है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है।

क्रियाकलाप 15.4

पुस्तकों या इन्टरनेट की सहायता से भारत के राज्यों की एक सूची बनाइए और यह पता कीजिए कि उन राजयों का निर्माण किस वर्ष में हुआ था।

15.3.3 राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की माँग

पिछले छः दशकों से भी अधिक अवधि में भारतीय संघीय व्यवस्था के कार्यान्वयन से यह स्पष्ट होता है कि संघीय व्यवस्था में केन्द्रीकरण के कारण राज्यों तथा केन्द्र के बीच के संबंध हमेशा अच्छे नहीं रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि राज्य अपने क्षेत्र में शासन संचालन के लिए अधिक

प्रभावशाली भूमिका की अपेक्षा करें। यही कारण है कि समय-समय पर राज्यों ने उन्हें अधिक अधिकार एवं अधिक स्वायत्तता दिए जाने की माँग की है।इस पर विचार करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारिया आयोग तथा अन्य आयोगों की नियुक्त की। मार्च 2010 को केन्द्र राज्य संबंध पर आयोग की नियुक्ति सबसे नया प्रयास है।

विभिन्न आयोगों द्वारा दी गई संस्तुतियों के अनुसार संविधान के बुनियादी ढ़ाँचे में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। किन्तु एक स्थायी अन्तर राष्ट्रीय परिषद की आवश्यकता महसूस की गई है। इसके अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें पिछड़े क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दे। यदि इन पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास योजनावद ढंग से किया गया तो पृथकतावादी सोच स्वयं नियंत्रित हो जाएगी। केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के बीच के मतान्तरों को आपसी बातचीत के द्वारा दूर किया जाना चाहिए। राज्यों द्वारा उन्हें अधिक वित्तीय संसाधन दिए जाने की मांग की संस्तुतियों को काफी समर्थन मिला है।

क्रियाकलाप 15.5

लगभग गत 5 वर्षो से एक राज्य में एक अलग राज्य बनाए जाने के लिए आन्दोलन चल रहा है। उस राज्य की पहचान कीजिए तथा इस तरह की माँग के कारणों की चर्चा कीजिए। यह भी बतलाइए कि वहाँ के नेताओं द्वारा मई और सितम्बर 2011 के बीच कौन-कौन से कदम उठाए गए थे?

पाठगत प्रश्न 15.4

1. संघीय व्यवस्था की कौन-कौन सी प्रमुख विशेषताएँ हैं?
2. भारत के बारे में यह कहा जाता है कि "भारत स्वरूप में एक संघीय व्यवस्था है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है।" इसक कथन के दो कारणों की चर्चा कीजिए।
3. छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तराखण्ड राज्यों को 2000-2001 के दौरान बनाया गया। यह बताइए कि इनको किन राज्यों से अलगकर बनाया गया? इनके बनाए जाने के कारणों पर प्रकाश डालिए।

15.4 भारत में संसदीय शासन प्रणाली

भारतीय राजनीतिक पद्धति की एक अन्य विशेषता इसकी संसदीय शासन प्रणाली है। शासन प्रणालियों के दो रूप होते हैं : अध्यक्षीय तथा संसदीय। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सरकार के तीनों अंग एक-दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। वहाँ कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं होते। संयुक्त राज्य अमेरिका एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। किन्तु संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारिणी तथा विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं। यूनाइटेड किंग्डम में संसदीय

शासन प्रणाली है। भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है। वस्तुतः भारतीय संविधान निर्माताओं ने यहाँ के लिए ब्रिटिश प्रतिमान को ही अपनाया क्योंकि भारत में 1947 के पहले जो शासन प्रणाली चल रही थी वह काफी हद तक ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के समान थी। भारत में केन्द्र तथा राज्य दोनो स्तरों पर शासन प्रणाली का रूप संसदीय है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

(i) विधायिका तथा कार्यकारिणी के बीच घनिष्ठ संबंध है।

(ii) कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है।

(iii) कार्यकारिणी में एक राज्याध्यक्ष है जो नाममात्र का प्रधान है तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद है, जो वास्वविक कार्यकारिणी है।

चित्र 15.2 भारत की संसद

1. **विधायिका तथा कार्यकारिणी के बीच घनिष्ठ संबंध :** भारत में कार्यकारिणी तथा विधायिका के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। केन्द्रीय सरकार की कार्यकारिणी में राज्याध्यक्ष, राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होते हैं। विधायिका अर्थात संसद के दो सदन है : लोकसभा एवं राज्य सभा। लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल या राजनैतिक दलों के गठबंधन का नेता ही प्रधानमंत्री के पदपर नियुक्त होता है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रीपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति संसद के दोनो सदनों की बैठक बुलाता है, सत्रावसान करता है तथा लोकसभा को भंग कर सकता है। संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति के विरूद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर उसे पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति संसद का भी अभिन्न अंग होता है।

2. **कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व :** मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक मंत्री का उत्तरदायित्व पूरी मंत्रिपरिषद

का उत्तरदायित्त्व होता है। मंत्रिपरिषद राज्य सभा के प्रति भी उत्तरदायी है। संसद के दोनों सदन मंत्रिपरिषद को नियन्त्रित रखते हैं। ऐसा करने के लिए वे सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा उसके कार्यो पर प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं। वे सरकार के प्रस्तावों पर वाद-विवाद करते है तथा सरकार के कार्यो की तीखी आलोचना करते हैं। वे स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी पेश करते हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तुत कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। वार्षिक बजट भी संसद द्वारा पारित किया जाता है।

वास्तव में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा पर निर्भर करता है। यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो देता है यानी सदन में बहुमत का समर्थन खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को पदच्युत कर सकती है।

3. **नाममात्र और वास्तविक कार्यकारिणी :** भारत में कार्यकारिणी के दो भाग है - नाममात्र कार्यकारिणी तथा वास्तविक कार्यकारिणी। राष्ट्रपति जो राज्याध्यक्ष होता है, नाममात्र था औपचारिक कार्यकारिणी है। सिद्धान्ततः संविधान के द्वारा सभी कार्यकारिणी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित किया गया है। किन्तु व्यवहार में उनका प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता। उनका वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा होता है। अतः प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के द्वारा होता है। अतः प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यकारिणी है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कोई काम नहीं कर सकता।

4. **प्रधानमंत्री-वास्तविक कार्यकारिणी :** प्रधानमंत्री संसदीय कार्यकारिणी की धूरी होता है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य प्रधानमंत्री की अनुसंशा पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। मंत्रियों बीच विभागों का आबंटन भी प्रधानमंत्री द्वारा ही होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठको की अध्यक्षता करता है। वह तो मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के बीच की एकमात्र कड़ी है। प्रधानमंत्री के निर्णय से किसी भी मंत्री को पदच्युत किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के पदत्याग करने से सारी मंत्रीपरिषद भंग हो जाती है।

इन विशेषताओं के साथ भारत में संसदीय प्रणाली सतोषजनक ढंग से क्रियान्वित हो रही है। राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की सरंचना केन्द्र की प्रणाली के अनुरूप है। वहाँ कार्यकारिणी में राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होते हैं राज्यपाल राज्याध्यक्ष की भूमिका निभाता है तथा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारिणी की तरह कार्य करते हैं। राज्य विधायिकाएँ संसद की तरह कार्य करती हैं। कुछ राज्यों की विधायिकाएँ द्विसदनीय (विधानसभा तथा विधान परिषद) हैं। अधिकतर राज्यों में एक सदनीय (विधान सभा) विधायिकाएँ हैं।

पाठगत प्रश्न 15.5

1. संसदीय प्रणाली में कार्यकारिणी तथा विधायिका के बीच किस तरह के सम्बन्ध होते हैं?
2. भारत के राष्ट्रपति को नाममात्र की कार्यकारिणी क्यों कहा जाता है?
3. सामूहिक उत्तरदायित्त्व का अर्थ क्या होता है?
4. संसद के दोनो सदन मंत्रिपरिषद को किस तरह नियंत्रित रखते हैं?

आपने क्या सीखा

- राज्य या राष्ट्र के संदर्भ में संविधान का अर्थ मूल सिद्धान्तों, आधारभूत नियमों तथा स्थापित परम्पराओं का समूह है। यह राज्य के विभिन्न पहलुओं तथा सरकार के अंगों-कार्यकारिणी, विधायिका एवं न्यायपालिका के अंतर्गत प्रमुख संस्थाओं की संरचना, अधिकार तथा कार्यो को परिभाषित करता है और नियमित करता है। यह नागरिकों के अधिकारों एवं उनकी स्वतन्त्रताओं का प्रावधान करता है और वैयक्तिक नागरिक तथा राज्य और सरकार के बीच के सम्बंधों को स्पष्ट करता है।

- भारत का संविधान इसके द्वारा स्थापित व्यवस्था के आधारभूत उद्देश्यों को परिभाषित करता है। इसके द्वारा भारत में एक सम्प्रभु, लोकतान्त्रिक, समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष गणतंत्र की स्थापना की गई है। इसमें सामाजिक परिवर्तन लाने तथा वैयक्तिक नागरिक एवं राज्यों के बीच के संबंधों को परिभाषित करने संबंधी प्रावधान हैं।

- किसी देश का संविधान अनेक उद्देश्यों को पूरा करता है। यह कुछ, ऐसे आदर्शो को निर्धारित करता है, जो ऐसे देश का आधार बनाते हैं जिसमें हम नागरिकों की तरह रहने की आकांक्षा रखते हैं। संविधान सिद्दान्तों, नियमों तथा प्रक्रियाओं के एक सेट की तरह है जिनपर देश सभी व्यक्तियों की सहमति होती है। लोग चाहते हैं कि देश का शासन इसी सहमति के आधार पर संचालित हो तथा समाज आग बढ़े। यह सहमति केवल शासन के प्रकार पर ही नहीं बल्कि उन आदर्शो पर भी बनती है, जिन्हें बनाए रखा जाए। भारतीय संविधान में भी कुछ ऐसे केन्द्रिक सांविधानिक मूल्य निहित हैं, जो संविधान की आत्मा है तथा इसके विभिन्न अनुच्छेदों तथा प्रावधानों में अभिव्यक्त हैं।

- सांविधानिक मूल्य पूरे संविधान में प्रतिबिम्बित हैं। उसकी प्रस्तावना में ऐसे मूलभूत मूल्यों तथा दर्शन को सम्मिलित किया गया है, जिनपर पूरा संविधान आधारित है। ये हैं : सम्प्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, गणतान्त्रिक प्रकृति, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुत्व, मानवीय गौरव तथा राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता।

- सांविधानिक मूल्य भारतीय संविधान के सभी प्रमुख विशेषताओं में भी व्याप्त हैं। जैसे लिखित संविधान, अनमनशील तथा नमनशील संविधान का अनोखा मिश्रण, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्त्व, मौलिक कर्त्तव्य, एकल नागरिकता, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, संघवाद तथा संसदीय शासन प्रणाली।

- भारत एक संघ राज्य है, क्योंकि यहाँ एक लिखित संविधान है तथा द्विसोपानीय सरकार, केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर है। केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन है तथा यहाँ स्वतन्त्र न्यायपालिका है। लेकिन यह एक ऐसा संघ राज्य है जहाँ केन्द्रीय सरकार काफी मजबूत है। संविधान द्वारा जानबुझकर केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनाया गया है।

- भारत में केन्द्र तथा राज्य दोनो स्तरों पर संसदीय शासन प्रणाली है। राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष तथा नाममात्र की कार्यकारिणी है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में वास्तविक कार्यकारिणी का प्रधान है। कार्यकारिणी तथा विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध है तथा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है।

पाठान्त अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए :

   (i) प्रस्तावना को परिभाषित कीजिए।

   (ii) संविधान का क्या अर्थ है?

   (iii) भारतीय संविधान को किसने बनाया?

   (iv) सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है?

2. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए :

   (i) संविधान के महत्व की विवेचना कीजिए।

   (ii) प्रस्तावना में कौन-कौन से प्रमुख सांविधानिक मूल्य सम्मिलित हैं?

   (iii) भारतीय संविधान की कौन-कौन सी विशषताएँ हैं?

   (iv) भारतीय संविधान की किन्हीं तीन संघीय विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

   (v) भारतीय संविधान अनमनीय तथा नमनीय है। कैसे?

   (vi) भारत को ऐसा राज्य क्यों कहा जाता है जिसका स्वरूप संघीय है लेकिन आत्मा एकात्मक है?

   (vii) भारत की संसदीय शासन प्रणाली की प्रकृति का परीक्षण कीजिए।

   (viii) क्या आपने अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले गणतन्त्र दिवस में सहभागी या दर्शक के रूप में भाग लिया है? यदि हाँ तो उस समारोह की विशिष्टताओं की चर्चा कीजिए।

   (ix) नीचे सउदी अरब के एक नागरिक तथा एक भारतीय नागरिक के बीच की अभिलिखित बातचीत को प्रस्तुत किया गया है। सउदी अरब के नागरिक द्वारा कही बातों को नीचे लिखा गया है। किन्तु भारतीय नागरिक द्वारा दिये गए उत्तर को अभिलिखित नहीं किया जा सका था। इसीलिए वे स्थान खाली हैं। इस पाठ से प्राप्त एवं आपके आपने ज्ञान के आधार पर इस बातचीत को पूरा कीजिए तथा समुचित उत्तर दिजिए । (''स अ'' का मतलब सउदी अरब का नागरिक है तथा ''भा'' का मतलब भारतीय नागरिक है)

   (क) स अ हमारे देश में एक वंशानुगत राजा का शासन है। हमलोग उनको परिवर्तित नहीं कर सकते। इसलिए हमलोगों की शासन प्रणाली राजतन्त्र है।

   भा .....

(ख) स अ सउदी अरब में हम लागों की शासन व्यवस्था आप लोगों जैसी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ राजनीतिक दल नहीं हैं। चुनाव नहीं होते तथा लोगों की सरकर बनाने में कोई भूमिका नहीं होती। यहाँ तक कि मीडिया भी ऐसा कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर सकता, जो राजा को पसन्द नहीं।

भा .....

(ग) स अ हमारे देश में केवल एक ही धर्म है। अतः वहाँ धर्म की स्वतन्त्रता नहीं है प्रत्येक नागरिक को मुसलमान होना जरूरी है।

भा .....

(घ) स अ हाँ, गैर-मुस्लमानों को अपना धर्म मानने की इजाजत रहती है, लेकिन अकेले में सभी लोगों के सामने नहीं।

भा .....

(ड) स अ हमारे देश में लिंग के आधार पर भेदभाव है। स्त्रियों को पुरूषों के समान नहीं समझा जाता। उनपर सार्वजनिक तौर पर कई बन्धन है। यहाँ तक कि एक पुरूष की गवाही दो महिलाओं की गवाही के बराबर मानी जाती है।

भा .....

भारतीय द्वारा अभिवक्त विचार

(क) स्वतन्त्रता के बाद भारत में राजा का शासन नहीं है। उसके बदले, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद है जिसपर अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। इस प्रकार भारत एक गणतन्त्र है। यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें राजनीतिक दल लोगों के प्रतिनिधि के रूप में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हमलोगों को संघ बनाने तथा राजनीतिक दल बनाने की स्वतन्त्रता है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को मत देने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है। भारत में मीडिया किसी भी मुद्दे पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए स्वतन्त्र है।

(ग) लेकिन हमलोगों का एक पंथ निरपेक्ष देश है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को धर्म की स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकार की गारन्टी प्रदान करता है हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई एवं अन्य को अपने-अपने धर्म का आचरण करने की स्वतन्त्रता है।

(घ) आश्चर्य की बात है। हमारे देश में संविधान सार्वजनिक रूप से भी धर्म मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है।

(ड) हमारे संविधान में लैंगिक समानता का प्रावधान है, यद्यपि व्यवहार में हमारे यहाँ भी कुछ समस्याएँ हैं। लेकिन स्त्रियों को हर क्षेत्र में बराबर का अधिकार है। उनके लिए आरक्षण की भी व्यवस्था है।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

15.1

1. राज्य और राष्ट्र के सन्दर्भ में संविधान का अर्थ मूल सिद्धान्तों, आधारभूत नियमों एवं स्थापित परम्पराओं का समूह है। यह राज्य के विभिन्न पहलुओं तथा सरकार के तीन अंगों-कार्यकारिणी, विधायिका एवं न्यायपालिका के अन्तर्गत प्रमुख संस्थाओं की संरचना, अधिकार तथा कार्यों को स्पष्ट करता है, परिभाषित करता है तथा नियमित करता है। यह नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं का भी प्रावधान करता है और नागरिक एवं राज्य तथा सरकार के बीच के सम्बन्धों को स्पष्ट करता है।

2. (i) सबसे लम्बा (ii) संविधान सभा (iii) अद्यतन (iv) गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी 1950

15.2

1. मूल्य ऐसी चीज है जो बहुत आवश्यक है तथा जिसका पालन करना मानव समाज के अस्तित्व के लिए वांछनीय है।

2. प्रस्तावना में अभिव्यक्त किए गए मूल्य संविधान के उद्देश्यों की तरह अभिव्यक्त किए गए हैं ये हैं: सम्प्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतन्त्र, भारतीय राज्य की गणतांत्रिक प्रकृति, न्याय, समानता, बन्धुता, मानवीय गौरव तथा राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता।

3.

'अ'	'ब'
(i)	छ
(ii)	क
(iii)	ड.
(iv)	ख
(v)	ग
(vi)	ज
(vii)	झ
(viii)	च
(ix)	घ

टिप्पणी

15.3

1. (i) लिखित संविधान; (ii) अनमनशीलता तथा नमनशीलता का अनोखा मिश्रण; (iii) मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य; (iv) राज्य के नीति निदेशक तत्त्व; (v) एकीकृत न्यायिका व्यवस्था; (vi) एकल नागरिकता; (vii) सार्वभौम वयस्क मताधिकार; (viii) संघीय व्यवस्था तथा संसदीय शासन प्रणाली।

2. सामाजिक तथा आर्थिक समानता, सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति

3. यघपि राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय तथा जिला एवं नीचे के स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय हैं, लेकिन ये सभी एक ही पदानुक्रम के अंग हैं। इस पदानुक्रम के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है।

4. इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक भारतीय भारत का एक नागरिक है, चाहे उसका जन्म किसी भी स्थान में हुआ हो और उसका निवास स्थान कहीं भी हो।

15.4

1. (i) केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर द्विसोपानीय सरकार; (ii) केन्द्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन; (iii) लिखित संविधान; (iv) न्यायपालिका की सर्वाच्चता एवं स्वतन्त्रता।

2. (i) भारत के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र पर केन्द्र सरकार का अधिकार है। राज्यों का अस्तित्त्व तथा देश की क्षेत्रीय अखण्डता संसद के हाथों में है; (ii) केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन भी केन्द्रीय सरकार के पक्ष में है। संघ सूची में सभी महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया है; (iii) भारत में एकीकृत तथा समाकलित न्यायपालिका है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है; (iv) जब कभी तीन संकटकालीन स्थितियों में से किसी एक की घोषणा हो जाए तो केन्द्रीय सरकार बहुत शक्तिशाली हो जाती है और भारत लगभग एक एकात्मक राज्य बन जाता है। (कोई दो)

3. पुस्तकों, पत्र, पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों से अथवा इन्टरनेट से आवश्यक सूचना एकत्रित कीजिए तथा इस प्रश्न का उत्तर तैयार कीजिए।

15.5

4. कार्यकारिणी अर्थात प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिपरिषद तथा विधायिका अर्थात संसद के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। मंत्रिपरिषद का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे तो मंत्रिपरिषद को पदत्याग करना पड़ता है।

2. राष्ट्रपति जो राज्याध्यक्ष होता है, एक नाममात्र का और औपचारिक कार्यकारिणी है। सिद्धान्ततः संविधान के द्वारा सभी कार्यकारिणी अधिकार भारत के राष्ट्रपति में ही निहित किया गया है। किन्तु व्यवहार इन अधिकारों का प्रयोग उसके द्वारा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा होता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्याकारिणी है।

टिप्पणी

मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मण्डल द्वारा चुना जाता है वह संसद सदस्यों से मिलकर बनता है। यदि संसद राष्ट्रपति के विरूद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे पदत्याग करना पड़ता है।

3. इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक मंत्री का उत्तरदायित्व सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है। यदि एक मंत्रालय की भी आलोचना होती है तो पूरी मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी समझा जाता है।

4. संसद के दोनो सदन सरकार की नीतियो, कार्यक्रमों तथा कार्यो पर प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछकर मंत्रिपरिषद पर नियन्त्रण रखते हैं। वे स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तुत कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उसे संसद की स्वीकृति नहीं मिले। वार्षिक बजट भी संसद द्वारा पास किया जाता है।